



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1943 (श10)
(सं0 पटना 1010) पटना, वृहस्पतिवार, 16 दिसम्बर 2021

नगरपालिका प्रशासन निदेशालय
(नगर विकास एवं आवास विभाग)

अधिसूचना

13 दिसम्बर 2021

सं० 10/न0प्र0नि0-19/2021-3593/न0प्र0नि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा नगर परिषद् मसौढ़ी, नगर परिषद् बक्सर, नगर परिषद् डुमराँव, नगर परिषद् हाजीपुर, नगर परिषद् शेखपुरा, नगर परिषद् बरबीघा, नगर परिषद् खगड़िया, नगर परिषद् नवादा, नगर परिषद् सिवान, नगर परिषद् बीहट एवं नगर परिषद् सुलतानगंज का क्षेत्र विस्तार किया गया है।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 12 (8) के प्रावधानों के तहत इन क्षेत्र विस्तारित नगर परिषदों का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत से छह माह की अवधि तक ही शेष रहने तथा उक्त अवधि के उपरान्त नगर निकाय के भंग हो जाने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त अधिनियम की धारा 12 (9) के प्रावधानानुसार क्षेत्र विस्तारित इन नगर परिषदों में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम सेवक प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1010-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>